

फर्द अहकाम

(नियम 23)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रायपुर

किरण मुकदमा कलीनदर बनाम रायपुर
नं. 46/2018

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय-इनिशियल्य जज

5/10/2018
पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत शिविर का पंचायत 3/11/2018 में पेश हुई जिसमें वादी/प्रार्थी एवं अतिवासी/अप्रार्थी में सभी पंचायतों उपस्थित नहीं होने से प्रकरण में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 की भावना से कार्यवाही नहीं हो सकती। अतः तारीख पेशी इत्यादि होकर पत्रावली अग्रयन्दा दिनांक 3/11/2018 को पेश हो।
सहायक मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

19/11/2018
वफुताब अनुपस्थित।
आज वकील गणेश का न्यायालय अनुपस्थित होने का निगम लिया गया है।
अतः पेशी इत्यादि होकर पत्रावली दिनांक 08/12/2018 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर

08/12/2018
पत्रावली पेश की।
समाप्त पत्रावली उपस्थित। अग्रयन्दी अनुपस्थित।
जारी होने पर पंच अक्टूबर को कौटिल्य की P/F कोर्ट में पेश करे।
कौटिल्य की P/F कोर्ट में पेश करे।
कैसे है। कोर्टी रिपोर्ट में P/F कोर्ट में पेश करे।
करने से जारी पत्र कोर्ट 05 नवंबर 05 पर के तहत खारिज किया जाता है पत्रावली फर्जल शमशेर वीर नम्बर से करे है।

S.D.O